रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240187
CG-DL-E-10112022-240187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944
No. 724]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 812(अ).—वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) में आगे संशोधन के लिए, कतिपय नियमों का मसौदा, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-14 में अपेक्षित है, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है; तथा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त ड्राफ्ट नियमों पर, उस तिथि मे, जिस तिथि को उस सरकारी राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से तीस दिन की अवधि के उपरांत विचार किया जाएगा;

आपत्तियां तथा सुझावा, यदि कोई हों, को महानिदेशक, नागर विमानन, सफदरजंग हवाईअड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 पर भेजे जाएं या dgoffice.dgca@nic.in पर मेल किए जाएंगे।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को वायुयान (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में -

   (क) नियम 118 का "लोप किया जाएगा"।

   (ख) धारा-क, अनुसूची-III के खंड- 8(क) के बाद, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात्; -

"बशर्ते कि यदि अपर्याप्त संचलन या निगरानी घंटों के कारण पुनरावृत्ति या योग्यता आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो लाइसेंसधारक आपातकालीन स्थितियों सहित न्यूनतम दस घंटे सिम्युलेटिड अभ्यास पूरा करेगा और सिम्युलेटिड अभ्यास के आरंभ होने के निरंतर दस दिनों तक की अवधि के लिए संबंधित रेटिंग हेतु कौशल आंकलन प्रक्रिया से गुजरेगा"।

[फा. सं. AV-11012/6/2022-A-MOCA]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट : प्रधान नियम, दिनांक 23 मार्च, 1937 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या वी-26, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें पिछला संशोधन, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के जी.एस.आर. 289(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 08 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2022

G.S.R. 812(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Third Amendment) Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937 —

   (A) Rule 118 shall be "omitted".

   (B) After Clause 8(a) of Section A, Schedule III, the following proviso shall be inserted, namely; —

   "provided that in case the recency or competency requirements cannot be completed due to insufficient movements or watch hours then the license holder shall complete minimum ten hours of simulated exercises including emergencies and shall also undergo a skill assessment for respective rating in not more than ten consecutive days of commencement of simulated exercises".

[F. No. AV-11012/6/2022-A-MOCA]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 289(E), dated the 08th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 08th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.10 22:24:27 +05'30'